भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4277

उत्तर देने की तारीख: 01.04.2026

सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान होने वाली मौतें और सुरक्षा उपायों का कार्यान्वयन

4277. श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई अभियानों में दर्ज की गई कुल मौतों की वर्ष-वार और राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कितने मामलों में मुआवज़ा प्रदान किया गया और प्रत्येक मामले में संवितरित राशि और लंबित पड़े हुए मुआवजे के कितने मामले हैं;

(ग) क्या मैनुअल तरीके से हानिकारक सफाई पर वैधानिक प्रतिबंध के बावजूद लगातार हो रही सीवर संबंधी मौतों के कारणों की पहचान करने के लिए कोई आकलन किया गया है और उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान मशीनीकृत तरीके से सीवर की सफाई करने वाली कितनी मशीनें खरीदी और तैनात की गईं और क्या सीवरों में मैनुअल प्रवेश को समाप्त करने के लिए कोई समयबद्ध योजना मौजूद है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विगत पांच वर्षों के दौरान सीवर और सेप्टिक टैंकों की जोखिमपूर्ण सफाई के कारण जान गंवाने वाले सफाई कर्मचारियों की वर्ष-वार और राज्य-वार संख्या **संलग्नक-I** में दी गई है।

(ख): ऐसे मामलों की राज्य-वार संख्या जहां मुआवजे का पूर्ण/आंशिक भुगतान कर दिया गया है और जहां मुआवजे की पुष्टि नहीं की गई है, **संलग्नक-II** में दी गई है।

(ग): सीवरों और सेप्टिक टैंकों की जोखिमपूर्ण सफाई के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुछ मौतें हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 तथा हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास नियम, 2013 तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अंतर्गत यथा निर्धारित सुरक्षा उपायों का पालन न किए जाने के कारण हुई हैं।

(घ): 1 अक्टूबर, 2021 को शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) 2.0 में एक नया घटक अर्थात् प्रयुक्त जल प्रबंधन (यूडब्ल्यूएम) शामिल किया गया है, जिसका एक उद्देश्य सीवर और सेप्टिक टैंकों में जोखिमपूर्ण प्रवेश को बंद करना तथा सीवर और सेप्टिक टैंकों की मैनुअल सफाई को क्रमिक रूप से बंद करते हुए मशीनों से सफाई कराना है। यूडब्ल्यूएम घटक के तहत, अब तक 1,940 सीईएसएस पूल टैंकरों/डीस्लजिंग मशीनों और 517 अन्य सीवर सफाई उपकरणों की खरीद के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

संलग्नक-I

सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान होने वाली मौतें और सुरक्षा उपायों का कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4277, जिसका उत्तर दिनांक 01.04.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) में संदर्भित संलग्नक-I

विगत पांच वर्षों के दौरान सीवर और सेप्टिक टैंकों की जोखिमपूर्ण सफाई के कारण अपनी जान गंवाने वाले सफाई कर्मचारियों की वर्ष-वार और राज्य-वार संख्या निम्नानुसार है -

क्र.सं.	वर्ष	2021	2022	2023	2024	2025
	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	मौतों की संख्या				
1	आंध्र प्रदेश	2	3	-	-	-
2	बिहार	-	-	2	-	-
3	दादरा और नगर हवेली	3	-	-	-	-
4	दिल्ली	4	10	-	7	5
5	गोवा	-	-	-	1	-
6	गुजरात	5	7	10	-	3
7	हरियाणा	6	23	6	1	7
8	झारखंड	-	-	1	-	-
9	कर्नाटक	7	-	3	2	-
10	मध्य प्रदेश	5	-	2	3	1
11	महाराष्ट्र	7	19	10	14	5
12	ओडिशा	2	-	-	-	-
13	पंजाब	2	-	6	1	3
14	राजस्थान	1	-	10	7	6
15	तमिलनाडु	3	14	9	6	6
16	तेलंगाना	4	1	1	3	-
17	उत्तर प्रदेश	5	11	2	9	8
18	पश्चिम बंगाल	6	-	3	-	4
कुल योग		**62**	**88**	**65**	**54**	**48**

सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान होने वाली मौतें और सुरक्षा उपायों का कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4277, जिसका उत्तर दिनांक 01.04.2026 को दिया जाना है, के भाग (ख) में संदर्भित संलग्नक-II

ऐसे मामलों की राज्यवार संख्या जहां मुआवजे का आंशिक/पूर्ण भुगतान किया गया है और जहां मुआवजे की पुष्टि नहीं की गई है, निम्नानुसार है -

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	सीवर की जोखिमपूर्ण सफाई से होने वाली मौतों की कुल संख्या	10/30 लाख से अधिक या इसके बराबर पूर्ण भुगतान	30 लाख से कम या इसके बराबर आंशिक भुगतान	कोई भुगतान नहीं किया गया/भुगतान की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है
1	आंध्र प्रदेश	28	27	-	-
2	बिहार	6	6	-	-
3	छत्तीसगढ़	6	6	-	-
4	चंडीगढ़	6	6	-	-
5	दादर और नगर हवेली	3	3	-	-
6	दिल्ली	124	106	7	11
7	गोवा	7	2	4	1
8	गुजरात	207	177	-	-
9	हरियाणा	124	97	10	12
10	झारखंड	4	1	3	-
11	कर्नाटक	96	95	-	1
12	केरल	13	13	-	-
13	महाराष्ट्र	97	85	5	7
14	मध्य प्रदेश	26	25	1	-
15	ओडिशा	2	2	-	-
16	पुडुचेरी	9	8	-	-
17	पंजाब	51	49	1	-
18	राजस्थान	63	57	3	-
19	तमिलनाडु	264	257	0	2
20	तेलंगाना	26	22	3	1
21	त्रिपुरा	2	2	-	-
22	उत्तराखंड	9	8	1	-
23	उत्तर प्रदेश	149	120	5	15
24	पश्चिम बंगाल	31	27	3	1
	कुल	**1353**	**1201**	**46**	**51**

*****